

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 54/2024
अनवान : -

1. राम प्रसाद न्योल पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी दर्ईदास नोहर।

- वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र भैरा जाति जाट निवासी दर्ईदास तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार न्योल पुत्र इन्द्राज सिंह न्योल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह न्योल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी गंगानगर तहसील व जिला गंगानगर।
4. कृष्णा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी दर्ईदास तहसील नोहर।
5. सुमीत्रा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी दर्ईदास तहसील नोहर।
6. गौरा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी दर्ईदास तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955**

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:- 07/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा दर्ईदास तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.4770 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 6 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि सेवा निवृत्त कर्मचारी है व ब्योवृद्ध व्यक्ति है व अपनी पेंशन से जीवन यापन कर रहे है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का पिता है मुताबीक पारिवारीक समझोता उपरोक्त भूमि में जो भी अपना हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 कि बहिने है व प्रतिवादी सं. 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा देईदास तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.4770 है0 भूमि में खसरा न. 57/2 कि 3.6040 है. भूमि वा खसरा न. 97/1 कि 8.0560 है. भूमि पर वादी वा प्रतिवादी संख्या 2 ब.हि.ब. काबिज है वा खसरा न. 206 कि 3.8060 है. भूमि वा खसरा न. 91/2 की 2.0110 है. भूमि पर

९

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो की प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा दर्ईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.4770 है० भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत

२१

दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा देईदास तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.4770 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न. 57/2 कि 3.6040 है. भूमि वा खसरा न. 97/1 कि 8.0560 है. भूमि वादी वा प्रतिवादी संख्या 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न. 206 कि 3.8060 है. भूमि वा खसरा न. 91/2 की 2.0110 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 54/2024
अनवान : -

1. राम प्रसाद न्योल पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी देईदास नोहर।

- वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र भैरा जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार न्योल पुत्र इन्द्राज सिंह न्योल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह न्योल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी गंगानगर तहसील व जिला गंगानगर।
4. कृष्णा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. सुमीत्रा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. गौरा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 54 सन 2024 निर्णय दिनांक - 07/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा देईदास तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 21/17 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.4770 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न. 57/2 कि 3.6040 है. भूमि वा खसरा न. 97/1 कि 8.0560 है. भूमि वादी वा प्रतिवादी संख्या 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न. 206 कि 3.8060 है. भूमि वा खसरा न. 91/2 की 2.0110 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर